अ०मु०चि०प्र०
26.5.22

संख्या- 785/पांच-9-2022

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 26 मई, 2022

विषय:- "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" 31 मई, 2022 को आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मई को "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 "विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-31 मई, 2022", "**Tobacco: Threat to our environment.**" थीम पर मनाया जाना है, जिस हेतु जनपद स्तर पर निम्न गतिविधियां आयोजित की जानी है:-

- जनपद स्तर पर जिला एवं ब्लॉक स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक आयोजित कर तम्बाकू नियंत्रण दिवस हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
- प्रति सप्ताह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी एवं चालान गतिविधि।
- एन0टी0सी0पी0, एन0पी0सी0डी0सी0एस0 एवं एन0एम0एच0पी0 कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यरत काउन्सलर/साइकोलॉजिस्ट द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिविरों के माध्यम से तम्बाकू का सेवन कर रहे बच्चो एवं व्यक्तियों की काउन्सलिंग करना।
- ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में तम्बाकू उपभोग से होने वाली हानियों के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जाय।
- जन प्रतिनिधियों के सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार।
- प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियों विजुअल व अन्य व्यापक प्रचार-प्रसार।
- शिक्षा विभाग के सहयोग से समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करवाना एवं उनकी मॉनीटरिंग करना।
- भारत सरकार द्वारा पूर्व में ही अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर योग हेतु अनुरोध किया है साथ ही एक विशेष योग सत्र प्रत्येक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर **"No Tobacco Pledge"** के साथ दिनांक-31/05/2022 से 31/06/2022 के मध्य आयोजित किया जाये (शपथ की छायाप्रति संलग्न)।
- जैसा की आप अवगत है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू बेचना अपराध है एवं धारा 7 के अन्तर्गत बिना चित्रमय चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ नहीं बेचा जा सकता। अतः विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशेष अभियान चलाकर कोटपा अधिनियम धारा 6 व 7 का अनुपालन कराया जाये।
- भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त विद्यालय हेतु दिशा-निर्देश के अनुसार विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर अभियान चलाकर सभी विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये।
- आकाशवाणी एवं अन्य स्थानीय एफ0एम0 रेडियो चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार।

- नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कूड़ा वाहनों में ऑडियो क्लिप के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार।
- जिला/उप जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलेक्ट्रानिक स्क्राल के माध्यम से तम्बाकू निषेध सम्बन्धित सूचना प्रसारण।
- जनपद/ब्लॉक स्तर पर रैली/गोष्ठी/कार्यशाला/नुक्कड़ नाटक/पोस्टर/निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार।
- आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार।
- ग्राम पंचायत स्तर पर गठित VHSNC के माध्यम से ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान आयोजित करना।
- VHND आदि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं व किशोर-किशोरियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना।
- एन0टी0सी0पी0/आर0बी0एस0के0/आर0के0एस0के0 टीम के द्वारा स्कूल कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समस्त गतिविधियों का आयोजन जिला स्तरीय नोडल अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय
25/5/22
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 785(1)/पांच-9-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग/गृह विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/खेलकूद विभाग/युवा कल्याण विभाग/परिवहन विभाग/पंचायती राज विभाग/पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश शर्मा)
विशेष सचिव

Sandeep
25/5/2022
25.5.22

PLEDGE

On this occasion of World No Tobacco Day, I take a pledge that I shall never use or consume any type of tobacco products in my life. I shall motivate all my family members, friends and acquaintances also to not to use any tobacco products. I shall also contribute to protection of my environment from use of tobacco products.

शपथ

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर मैं यह शपथ लेता/लेती हूँ, कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूंगा/करूंगी एवं अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा/करूंगी । इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने मे योगदान करूंगा/करूंगी I

Scanned by PDF Scanner